CANCELLED CANCELLED CANCELLED

न्यायालयःश्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महो0,ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

R-2060-III/14

मलखान बल्द भग्गू अहिरवार

निवासी–ग्राम सिमराखुर्द, तहसील पलेरा

जिला टीकमगढ (म0प्र0) ———पुनरीक्षणकर्त्तागण

//विरूद्ध//

सुकई उर्फ सुकईयां तनय कल्ला अहिरवार

निवासी ग्राम सिमराखुर्द, तहसील पलेरा

जिला टीकमगढ (म0प्र0) ———प्रतिअपीलार्थीगण

पुन0प्र0क0– प्रस्तुति,दि.–

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय पलेरा, जिला टीकमगढ म0प्र0 के रा0प्र0क0–06/अ –12 वर्ष 2013–14 नाम पक्षकार–सुकईयां तनय कल्ला अहिरवार वि0 शासन मे दिनांक 2/1/2014 के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–बराना के द्वारा किए गये सीमांकन आदेश/प्रतिवेदन दिनांक 21/05/2014 से दुखित एवं परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्त्ता यह पुनरीक्षण मान्नीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करते है :–

–: पुनरीक्षण प्रकिया के तथ्य :–

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता के नाम की मालिकी व कब्जे की कृषि भूमि ग्राम मौजा सिमराखुर्द प0ह0नं0–35 तहसील पलेरा जिला टीकमगढ म0प्र0 में स्थित है जिसका खसरा नंबर–148/1/2/क कुल रकवा–1.214 हे0 है, जो कि खाता कमांक–264 पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रति अपीलार्थी पुनरीक्षणकर्त्ता का मेढ–पढोसी है जो कि पुनरीक्षणकर्त्ता की भूमि में स्थित कुआ एवं भूमि लगे आ रहे पेडों पर जबरन कब्जा करने के आशय से उसे परेशान व प्रताडित करता आ रहा है ।
2. यहकि, पुनरीक्षणकर्त्तागण ने अपने कब्जे अनुसार रकवा के तरमीम हेतु एक आवेदन श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ में दिनांक 9/05/2005 को प्रस्तुत किया था तब ग्राम के पंचो,

B.O.R.
23 JUN 2014

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म. प्र.)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

15

प्रकरण क्रमांक निग. 2060—तीन / 14 जिला — टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9—12—14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में मुख्य रूप से यह आपत्ति ली जा रही है कि सीमांकन की कार्यवाही में सरहदी काश्तकारों को सूचना नहींदी गई है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि भूमि का सीमांकन अनावेदक, सरहदी कृषकों एवं पंचों की उपस्थिति में किया गया है । आवेदक एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को सीमांकन कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है इसका कोई प्रमाण आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	